Australian Human Rights Commission
everyone, everywhere, everyday

# शिकायत करनी

ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जो गैर-कानूनी संभोग, जाति, विकलाँगता और आयु संबंधी भेदभाव, ILO III भेदभाव और मानवाधिकारों की उल्लंघनाओं से सम्बन्धित शिकायतों की जांच-पड़ताल और इनका समाधान करता है।

## आप हमें किस बारे में शिकायत कर सकते/सकती हैं

- ***यौन संबंधी भेदभाव*** में यौन उत्पीड़न और लिंग, लैंगिक पहचान, इंटरसेक्स स्टेट्स, गर्भावस्था, विवाहित या संबंध स्थिति, स्तनपान कराने, पारिवारिक जिम्मेदारियों और यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव किया जाना शामिल है।
- ***विकलाँगता संबंधी भेदभाव*** में शारीरिक, बौद्धिक, संवेदनात्मक, शिक्षण एवं मनोरोग अक्षमताएँ; रोग या बीमारियों; चिकित्सीय समस्याओं; कार्य सम्बन्धित चोटों; पुरानी, वर्तमान और भविष्य की विकलाँगताओं; और विकलाँगता सहायता साधनों; सहायक पशुओं और विकलाँगता से पीड़ित व्यक्ति के साथ संबंद्ध के आधार पर भेदभाव किया जाना शामिल है।
- ***जाति संबंधी भेदभाव*** में जातीय घृणा और जाति, रंग, वंश, राष्ट्रीय या संजातीय मूल और आप्रवास स्थिति के आधार पर भेदभाव किया जाना शामिल है।
- ***आयु संबंधी भेदभाव*** में उम्र में बहुत छोटे या बहुत बूढ़े होने के आधार पर भेदभाव किया जाना शामिल है।
- ***ILO III भेदभाव*** में धर्म, आपराधिक रिकॉर्ड, ट्रेड यूनियन गतिविधि, राजनैतिक विचार और सामाजिक मूल के आधार पर भेदभाव किया जाना शामिल है।
- ***मानवाधिकारों*** में कॉमनवेल्थ द्वारा या इसकी ओर से की जाने वाली वह कार्यवाहियाँ शामिल हैं जो विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के साधनों की कथित तौर पर उल्लंघना करती हैं, जैसे कि नागरिक और राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय

April 2020

अनुबंध, बाल अधिकारों पर संधिपत्र और विकलाँगता से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों पर संधिपत्र।

चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी रहते/रहती हों आप शिकायत कर सकते/सकती हैं और शिकायत करने का कोई शुल्क नहीं है। शिकायत प्रक्रिया के चरण नीचे दर्शाए गए हैं।

## पूछताछ करनी

- यदि आपको पक्का पता नहीं है कि क्या आप किसी चीज़ के बारे में शिकायत कर सकते/सकती हैं या नहीं, तो आप आयोग की राष्ट्रीय सूचना सेवा को **1300 656 419** पर फोन करके या infoservice@humanrights.gov.au पर ई-मेल करके संपर्क कर सकते/सकती हैं।
- प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए हम आपको एक शिकायत फॉर्म भेज सकते हैं।
- यदि हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति/संस्था को आपको रेफर करेंगे जो आपकी मदद कर सके।

## शिकायत करनी

- शिकायत लिखित में होनी चाहिए। आप शिकायत फॉर्म भर कर इसे वापिस हमें डाक या फैक्स से भेज सकते/सकती हैं या आप हमारी वेबसाइट www.humanrights.gov.au पर ऑनलाइन तरीके से शिकायत दर्ज कर सकते/सकती हैं।
- आप अपनी पसंदीदा भाषा में शिकायत दर्ज कर सकते/सकती हैं और यदि आवश्यक हो तो हम आपकी शिकायत लिखने में आपकी मदद कर सकते हैं।
- शिकायत करने के लिए आपको किसी वकील की ज़रुरत नहीं है।
- यदि हम आपकी शिकायत का निपटान नहीं कर सकते हैं, तो हम इसका कारण बताएँगे।

## जाँच-पड़ताल करनी

- हम आपकी शिकायत के बारे में बात करने के लिए आपसे संपर्क करेंगे तथा हम आपको और अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए कह सकते हैं।

- सामान्यत:, आयोग उस व्यक्ति या संस्था से संपर्क करेगा जिसकी आप शिकायत कर रहे/रही हैं और उन्हें आपकी शिकायत की प्रति देगा। हम उन्हें विशिष्ट जानकारी प्रदान करने और/या आपकी शिकायत का जवाब देने के लिए कह सकते हैं। आपकी शिकायत के जवाब में आयोग को प्रदान की गई जानकारी में आपके बारे में व्यक्तिगत जानकारी शामिल हो सकती है, संवेदनशील जानकारी सहित।

- कुछ मामलों में, हो सकता है कि हम आपकी शिकायत का निपटान करना जारी न रखने का फैसला लें। यदि ऐसा होता है, तो हम इसका कारण बताएँगे।

- हम सुलह करने के माध्यम से शिकायत का समाधान करके की कोशिश करने के बारे में आपसे बात करेंगे।

## सुलह करनी

- सुलह करने का अर्थ है कि हम आपकी और उस व्यक्ति या संस्था की मामले का समाधान करने के तरीके का पता लगाने में मदद करने की कोशिश करते हैं जिसकी आपने शिकायत की थी।

- सुलह 'कांसिलिएशन कांफ्रेंस' कही जाने वाली आमने-सामने की बैठक में हो सकती है या यह टेलीफोन कांफ्रेंस के माध्यम से हो सकती है। कुछ मामलों में, शिकायतों का समाधान सुलहकर्ता के साथ ई-मेल और वार्तालापों के आदान-प्रदान के द्वारा हो सकता है।

- शिकायतों का समाधान कई विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। जैसे कि, माफी मांगकर, नीति में बदलाव करके या मुआवजा देकर।

## संभावी न्यायालिक कार्यवाही – यौन, विकलाँगता, जातीय और आयु संबंधी भेदभाव

- आयोग के पास यह फैसला लेने का अधिकार नहीं है कि क्या गैर-कानूनी भेदभाव हुआ है या नहीं।

- यदि आपकी शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है या किसी अन्य कारणवश इसे जारी नहीं रखा जाता है, तो आप मामले को अदालत ले जाने में सक्षम हो सकते हैं। अदालत यह फैसला ले सकती है कि क्या गैर-कानूनी भेदभाव हुआ है या नहीं।

- आयोग द्वारा शिकायत खारिज किए जाने के बाद आपके पास 60 दिन का समय होता है कि आप फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया या फेडरल कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में आवेदन करें।

- आयोग आपके लिए मामला अदालत तक नहीं ले जा सकता है या आपको अपना मामला अदालत में पेश करने में आपकी मदद नहीं कर सकता है।

- यदि आप अदालत जाना चाहते/चाहती हैं तो आपको किसी वकील या कानूनी सेवा से बात करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

### फैसला/रिपोर्ट – ILO III भेदभाव और मानवाधिकार

- यदि शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है या किसी अन्य कारणवश इसे जारी नहीं रखा जाता है तो आयोग का अध्यक्ष यह फैसला ले सकता है कि क्या ILO III भेदभाव या मानवाधिकारों की उल्लंघना हुई है या नहीं।

- यदि अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट है कि भेदभाव या मानवाधिकारों की उल्लंघना हुई है, तो अध्यक्ष फेडरल अटॉर्नी-जनरल को मामले की सूचना दे सकता है। रिपोर्ट में, अध्यक्ष व्यक्ति को हुए किसी नुकसान या उसको पहुँची किसी चोट के लिए मुआवजा देने का सुझाव दे सकता है। यह रिपोर्ट संसद में प्रस्तावित की जा सकती है।

- भेदभाव और मानवाधिकारों से सम्बन्धित अध्यक्ष के फैसलों की उदाहरणें आयोग की वेबसाइट http://www.humanrights.gov.au/publications/reports-minister-under-ahrc-act पर उपलब्ध हैं।

## मैं और अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?

ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग के संपर्क विवरण हैं:

**टेलीफोन**

राष्ट्रीय सूचना सेवा: 1300 656 419
TTY: 1800 620 241
NRS 133 677
फैक्स: (02) 9284 9611

यदि आपको दुभाषिए की ज़रुरत है तो आप **131 450** पर फोन करके ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग से कनेक्ट किए जाने का निवेदन कर सकते/सकती हैं।

यदि आप बोलने या सुनने की समस्या से पीड़ित हैं तो आप 1800 620 241 पर TTY द्वारा हमसे संपर्क कर सकते/सकती हैं। यदि आप बहरे हैं या आप सुनने या बोलने की किसी समस्या से पीड़ित हैं तो आप 133 677 पर नेशनल रिले सेवा (NRS) के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते/सकती हैं। यदि आपको Auslan दुभाषिए की ज़रुरत है तो हम इसकी व्यवस्था कर सकते हैं।

यदि आप नेत्रहीन हैं या दृष्टि संबंधी किसी समस्या से ग्रस्त हैं, तो हम निवेदन किए जाने पर वैकल्पिक फॉर्मेट्स में सूचना प्रदान कर सकते हैं।

**डाक**

GPO Box 5218
Sydney NSW 2001

**ऑनलाइन**

ई-मेल: infoservice@humanrights.gov.au

वेबसाइट: www.humanrights.gov.au

आप इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन तरीके से शिकायत कर सकते/सकती हैं http://www.humanrights.gov.au/complaints/lodging-your-complaint.

## सामान्य कानूनी सलाह

यदि आप शिकायत करने के बारे में सोच रहे/रही हैं, तो आप कानूनी सलाह लेना चाह सकते/सकती हैं। ऐसी सामुदायिक कानूनी सेवाएँ होती हैं जो भेदभाव और उत्पीड़न के बारे में नि:शुल्क सलाह दे सकती हैं।

आप Legal Aid निकाय (https://www.nationallegalaid.org/for-individuals/) या अपने सबसे नजदीकी सामुदायिक कानूनी केन्द्र (www.naclc.org.au/directory) से संपर्क कर सकते/सकती हैं।

**अस्वीकरण: इस तथ्य पत्र में दी गई सूचना का उद्देश्य केवल एक संदर्शिका प्रदान करना है। यह कानूनी सलाह का स्थान नहीं ले सकती है।**